भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2269

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियों का नुकसान

2269. श्री के. गोपीनाथ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के वार्षिक प्रतिवेदनों के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र को वर्ष 2015 से 2024 तक 9.5 मिलियन नौकरियों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु राज्य में रोजगार के अवसरों के नुकसान के कारणों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई उपचारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने का अधिकारिक स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, रोजगार का सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है। इसी अवधि के दौरान, 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर (यूआर) 6.0% से घटकर 3.2% हो गई है।

इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य में, रोजगार का सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए डब्ल्यूपीआर 2017-18 में 51.0% से बढ़कर 2023-24 में 56.8% हो गया है। इसी अवधि के दौरान, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 7.5% से घटकर 3.5% हो गई है।

अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्र में अनिगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की विभिन्न आर्थिक और प्रचालन विशेषताओं को विशेष रूप से मापता है।

उपलब्ध एएसयूएसई रिपोर्ट के अनुसार, अनिगमित गैर-कृषि क्षेत्र में कामगारों की अनुमानित संख्या 2021-22 में 9.79 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 10.96 करोड़ हो गई है।

इसके अलावा, सितंबर 2017 और सितंबर 2024 के मध्य 7 करोड़ से अधिक कुल अभिदाता भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में शामिल हुए हैं, जो रोजगार परिदृश्य की औपचारिकता में वृद्धि को दर्शाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार के अनुमान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, देश में रोजगार 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 17.18 करोड़ है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने तमिलनाडु सहित देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि कार्यान्वित कर रहे हैं जिनके तहत पूंजीगत व्यय में वृद्धि सहित रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे को **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए **5** योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।

*****